

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 68/2019- सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

08 आश्विन, शक 1941

सा.का.नि.(अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उपधारा (1) और धारा 143कक के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**- (1) इन विनियमों को 'ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अण्डर इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम रेग्यूलेशंस, 2019' कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **परिभाषाएं.**- इन विनियमों को, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "प्राधिकृत कैरियर" से अभिप्राय प्राधिकृत समुद्री कैरियर, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर, शिपिंग लाइन या ऐसे किसी अभिरक्षी से है जो कि सी कार्गो मेनीफेस्ट एन्ड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशंस, 2018 के अंतर्गत पंजीकृत हों अथवा यह उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता से भी अभिप्रेत है;

(ग) "ईसीटीएस" से अभिप्राय उस इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम से है जो कि नेपाल जाने वाले कार्गो की बीच रास्ते में सुरक्षा और उसकी मॉनीटरिंग के लिए तैनात किया गया हो;

(घ) "प्रबंधित सेवा प्रदाता" से अभिप्राय उस नियुक्त प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता से है जिसके लिए भारत और नेपाल की सरकारों के बीच, ईसीटीएस सेवा प्रदान किये जाने के लिए सहमति हुई हो।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहां तो प्रयोग हुआ हो और इन विनियमों में परिभाषित न किये गये हों परन्तु उक्त अधिनियम में परिभाषित किये गये हों, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिया गया हो।

3. **प्रयोज्यता.**- ये विनियम भारत के कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनों से नेपाल के वीरगंज तक रेल के द्वारा भेजे जाने वाले कार्गो और भारत के कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनों से बटनाहा तक रेल के द्वारा और बटनाहा से नेपाल के विराट नगर तक सड़क मार्ग से भेजे जाने वाले कार्गो पर लागू होगा।

4. **ट्रांसशिपमेंट की घोषणा.**- प्राधिकृत कैरियर को,-

(क) नेपाल जाने वाले कार्गो की ओर नेपाल में मेनीफेस्ट के पहुँचने से संबंधित उसके फाइनल डिस्चार्ज के पत्तन के बारे घोषणा करनी होगी;

(ख) जब तक कार्गो नेपाल के फाइनल डिस्चार्ज वाले पत्तन तक नहीं पहुँच जाता है तब तक रेल या रेल एवं सड़क के द्वारा माल के परिवहन की जिम्मेदारी होगी;

(ग) प्रबंधित सेवा प्रदाता से अपने खर्च पर ईसीटीएस की मुहर को सीधे प्राप्त करना होगा;

(घ) उस राशि के बराबर एक सामान्य बंधपत्र भरना होगा जिसके बारे में यथोचित अधिकारी निर्देश करे;

(ङ) यथोचित अधिकारी के समक्ष इस विनियम में संलग्न फॉर्म और तीन प्रतियों में ट्रांसशिपमेंट की घोषणा करना होगा और साथ में वाणिज्यिक इन्वॉइस की प्रति भी संलग्न करनी होगी।

5. **माल को लादने की अनुमति-** वाहन का प्रभारी कोई भी व्यक्ति नेपाल को भेजे जाने वाले किसी माल को रेलवे या अन्य वाहन पर तब तक लादने की अनुमति नहीं दे सकेगा जब तक उसके ट्रांसशिपमेंट घोषणा को अनुमोदित न कर दे।

6. **ट्रांसशिपमेंट के लिए अनुमति-** (1) जहाँ कि विनियम 5 में यथासंदर्भित अनुमोदन के अनुपालन में माल को रेलवे वाहन पर लाद दिया गया हो तो यथोचित अधिकारी,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो पर ईसीटीएस की मुहर सुरक्षित रूप से लगी हो और संबंधित सूचना सलंगन वेब-एप्लीकेशन में उल्लिखित कर दी गयी हो।

(ख) ईसीटीएस की मुहर संख्या युक्त ट्रांसशिपमेंट घोषणा की तीनों प्रतियों को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रख लेगा और ट्रांसशिपमेंट की घोषणा की बाकी दो प्रतियों को रेलवे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को सौंपेगा ताकि उसे माल के साथ लगा दिया जाये।

(2) उक्त प्राधिकृत कैरियर ट्रांसशिपमेंट घोषणा की पृष्ठांकित प्रति को भारत से बाहर से भेजने वाले लैंड कस्टम्स स्टेशन पर जमा करेगा और दूसरी प्रति को नेपाल के फाइनल चार्ज वाले पत्तन के कस्टम्स के पास जमा करेगा।

7. **लैंड कस्टम्स स्टेशन पर पहुँचना-** (1) ईसीटीएस की मुहर लगे कन्टेनरों को भारत के निकास स्थल के लैंड कस्टम्स स्टेशनों पर रोका जायेगा ताकि यथोचित अधिकारी उसकी सील को हटा सके।

(2) ऐसी सील को हटाने के पहले यथोचित अधिकारी वेब-एप्लीकेशन का प्रयोग करके उस सील की सत्यता की जांच करेगा और यदि गैर प्राधिकृत रूप से सील को हटाए जाने की कोई बात सामने नहीं आती है तो वह ईसीटीएस सील को हटा देगा।

(3) यदि ईसीटीएस से ऐसा पता चलता है कि गैर प्राधिकृत रूप से सील को हटाने की कोशिश की गयी है तो यथोचित अधिकारी ऐसे माल का विधिवत सत्यापन करायेंगा जिससे कि यह पता चल सके कि क्या उक्त माल ट्रांसशिपमेंट की घोषणा के अनुसार ही है अथवा नहीं और इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है तभी वह इसे नेपाल के लिए ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देगा।

(4) यथोचित अधिकारी ट्रांसशिपमेंट की घोषणा की दोनों प्रतियों पर सील के हटाए जाने को पृष्ठांकित करेगा और इसकी एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति प्राधिकृत कैरियर को देगा जिससे कि आगे उसे नेपाल के कस्टम्स के पास प्रस्तुत किया जा सके।

(5) वाहन का प्रभारी व्यक्ति नेपाल के लिए तब तक कोई यात्रा नहीं शुरू करेगा जब तक कि यथोचित अधिकारी ने उसे ट्रांसशिपमेंट की घोषणा को पृष्ठांकित करने वाले किसी आदेश के द्वारा अनुमति न दे दी हो।

8. **बंधपत्र का विमोचन-** (1) यथोचित अधिकारी ईसीटीएस वेब-एप्लीकेशन से ट्रिप रिपोर्ट निकालेगा जो कि ट्रांसशिपमेंट के पूरा होने का प्रमाण होगा।

(2) कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम के पत्तनों पर यथोचित अधिकारी द्वारा इसी ट्रिप रिपोर्ट के आधार पर कन्साइन्मेंट के ट्रांसशिपमेंट का मिलान करेगा और प्राधिकृत कैरियर द्वारा दिये गये सामान्य बंधपत्र को वापस जमा करेगा या उसे विमोचित करेगा।

**प्रपत्र**  
(विनियमन 4 देखें)  
**ट्रांसशिपमेंट की घोषणा**  
(तीन प्रतियों में भरें)

<b>भाग क</b> (प्राधिकृत कैरियर या उसके एजेंट द्वारा भरा जाए)						
ट्रांसशिपमेंट की घोषणा दाखिल करने वाले प्राधिकृत कैरियर का नाम						
मैनिफेस्ट संख्या और दिनांक						
भारत में प्रवेश का बंदरगाह						
भारत से बाहर निकलने का भू सीमाशुल्क स्टेशन						
नेपाल में प्रवेश का बंदरगाह						
नेपाल में अंतिम निर्वहन का बंदरगाह						
नेपाल में आयातक का नाम और पता						
वाहन संख्या जिससे माल को भारत से ले जाया जाएगा (यदि लागू हो)						
डाइवर का नाम और मोबाइल नंबर (यदि लागू हो)						
कंटेनर संख्या या वैगन संख्या (जैसा लागू हो)						
बॉन्ड सं.						
<b>माल का विवरण</b>						
चिह्न और क्रम सं.	वाणिज्यिक चालान संख्या और दिनांक	माल का विवरण	H.S कोड	मात्रा (नग में) या वजन, जो भी सुसंगत हो	संपूर्ण भार	सीआईएफ मूल्य भारतीय रुपये में
<p>मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त माल भारत से नेपाल के पारगमन के लिए है और इसे भारत में एन-रूट पर डायवर्ट नहीं किया जाएगा या भारत में रोका नहीं जाएगा।</p> <p>मैं / हम उपरोक्त यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की लागत को वहन करेंगे/करेंगे।</p> <p>मैं / हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी प्रविष्टियां मेरे / मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम और सही हैं।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत कैरियर या उसके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर</p>						
<b>भाग ख</b> (भारत में प्रवेश के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए)						
ट्रांसशिपमेंट परमिट सं.						
ECTS मुहर सं.						
मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त कंटेनर या वैगन को मेरे द्वारा ईसीटीएस मुहर से मोहरबंद किया गया है।						
अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम, मुहर और तारीख						
<b>भाग ग</b> (भारत से बाहर के भू सीमाशुल्क स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए)						
मैं प्रमाणित करता हूँ कि कार्गो _____ बंदरगाह (भारत) से _____ भू सीमाशुल्क स्टेशन (भारत) तक पहुंच गया है, ECTS की यात्रा रिपोर्ट में किसी अनाधिकृत अन-सीलिंग की चेतावनी नहीं प्राप्त हुई है।						
अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम, मुहर और तारीख						

(गुन्जन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
(फा.सं. 554/02/2014-एलसी (पार्ट))